

सं०सं० : 08/दन्त-07-08/2026.....286(8)

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

दिनेश कुमार यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
सिरखा टोली, तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

राँची, दिनांक- 12/10/2026

विषय: अवध डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर में NEET(UG)-2026 परीक्षाफल के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु सीटों की संशोधित विवरणी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवध डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर के लिए NEET(UG)-2026 परीक्षाफल के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए विभागीय पत्रांक-244(8) दिनांक-21.08.2026 द्वारा पूर्व में सीटों की विवरणी प्रेषित की गयी थी। उक्त दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के लिए सीटों की संशोधित विवरणी निम्नवत् है:-

संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	अखिल भारतीय मेरिट मेरिट लिस्ट से (50%)	सेन्दूल पूल	राज्य कोटा (50%)	राज्य कोटा के अन्तर्गत कोटिवार सीटों की संख्या					
					SC 10%	ST 26%	BC-I 8%	BC-II 6%	EWS 10%	UR 40%
अवध डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर।	100	50	-	50	5	13	4	3	5	20

- अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट के छात्रों का नामांकन भी झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, नामकुम, राँची से Counselling के माध्यम से किया जायेगा।
- झारखण्ड राज्य में निवासरत आदिम जनजाति समुदायों के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-5555 दि0-28.06.2016 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- एम0सी0आई0 द्वारा क्षैतिज आरक्षण के मामले में **Locomotor disability of ower limbs** के निःशक्त अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने का निदेश दिया गया है। उक्त के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संस्थानवार/कोटावार विवरणी निम्नवत् है :-

संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	अखिल भारतीय कोटा	सेन्दूल नोगिजी हेतु सीटों की संख्या	राज्य कोटा की सीटों की संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या
अवध डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर।	100	50	-	50	1. अंधापन और कम दृष्टि - 01 2. बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता- 01 3. चलन निःशक्तता - 01 4. बौद्धिक निःशक्तता- 01

5. कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1434 दिनांक-15.02.2019 द्वारा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान के आलोक में नियमसंगत कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त सीटों/प्रावधानों के आलोक में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर काउंसिलिंग आयोजित कर नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

6. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

286(8)
12/10/26

विश्वासभाजन



(दिनेश कुमार यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव